तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र / एलआर / 2015 / 7771 / अजमेर** **सरकार बनाम श्रीमती हंजा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री एस.एल. गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थी
श्री आर. अरोड़ा, अभिभाषक अप्रार्थी (आदेश–1 नियम–10)

दिनांक : 17 नवम्बर, 2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा–151 सीपीसी

1– राजस्व मण्डल की एकलपीठ में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अभी विचाराधीन है।

2– इस प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र कमला पत्नी सूवा एवं अन्य व्यक्तियों ने अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10(2) सपठित धारा–151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या–650/1 रकबा 14 बीघा किस्म पहाड़ी पर्वत आराजीयात में से अप्राथीगण संख्या–1 लगायत 8 के पक्ष में 6 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा निर्णय दिनांक 30–10–2003 से पारित की गई है। उक्त पारित निर्णय व डिक्री चूंकि पेराफेरी में स्थित आराजीयात बाबत एकमात्र कब्जे के आधार पर अप्रार्थीगण के पूर्वज लादू पुत्र खुदाबक्श द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में अवैधानिक रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पारित की गई। अतः प्रस्तुत प्रार्थीगण तहसीलदार, ब्यावर द्वारा जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>प्रार्थना पत्र / एलआर / 2015 / 7771 / अजमेर</u>** **सरकार बनाम श्रीमती हंजा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेन्स प्रकरण उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 30–10–2003 को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 25–4–2013 से निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ब्यावर जरिये सरकार द्वारा उक्त प्रकरण निर्णय दिनांक 25–4–2013 को निरस्त कर रेफरेन्स स्वीकार किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आने वाली आराजीयात होने से माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय से प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित होना संभावित है। अतः प्रार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार सम्मिलित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात में आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान करते हैं, के आधार पर प्रार्थीगण के हितों रक्षार्थ विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें। 3– बहस उभय पक्ष सुनी गयी। 4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात 650/1 रकबा 14 बीघा से सटती हुई आराजीयात खसरा संख्या–645, 646, 647, 648 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं उपरोक्त आराजीयात में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता सरकारी आराजीयात संख्या–650/1 में स्थित है। निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2003 के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आवागमन हेतु स्थित रास्ते की आराजीयात पर कब्जा कर उसे अप्रार्थीगण द्वारा बन्द किया जा रहा है एवं उक्त रास्ते को बाधित किया जा रहा है। चूंकि मौके पर वर्तमान में लगभग 3 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापरो का बाडिया विद्यालय भवन व चारदीवारी बनी हुई है एवं लगभग 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु मौके पर काम आ रही है। शेष भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>प्रार्थना पत्र / एलआर / 2015 / 7771 / अजमेर</u>** **सरकार बनाम श्रीमती हंजा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व से मकानात व बाडे बनाकर निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। राजस्व ग्राम रतनपुरा सरदारा पेराफेरी ग्राम है एवं खसरा नम्बर–650/1 की उक्त आराजीयात मौके पर रास्ते व स्कूल के काम आने से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है जिस बाबत प्राप्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 24–4–2013 से निरस्त किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात में आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान करते हैं, के आधार पर प्रार्थीगण के हितों रक्षार्थ विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें। 5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रकरण आराजी खसरा नम्बर 650/1 रकबा 14 बीघा किस्म पहाड़ी पर्वत के संबंध में है और प्रार्थना पत्र का उक्त खसरा नम्बर से कोई संबंध व सरोकार नहीं है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। 6– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने भी उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उसे निरस्त करने का निवेदन किया। 7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। 8– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रकरण आराजी खसरा नम्बर–650/1 रकबा 14 बीघा के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>प्रार्थना पत्र / एलआर / 2015 / 7771 / अजमेर</u>** **सरकार बनाम श्रीमती हंजा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संबंध में है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर–645, 646, 647, 648 के रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वे खसरा नम्बर–650/1 में से आते जाते हैं। रिकार्ड में खसरा नम्बर सार्वजनिक रास्ता दर्ज नहीं है अपितु पर्वत, पहाड़ दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का कोई हित इस प्रकरण में नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 9– अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>प्रार्थना पत्र / एलआर / 2015 / 7771 / अजमेर</u>** **सरकार बनाम श्रीमती हंजा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए